संख्याः 534/XXVIII–2/2016–04(81)2007

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 09 जून, 2016

विषयः उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015 के अनुसार कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली, 2015 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 534/XXVIII–2–2016/04(81)2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015 के प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

1. निजी सचिव, मा0 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, गृह/वित्त एवं विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
7. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाऐं, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
10. समस्त, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अनिल जोशी)
अनु सचिव।

AD(MC)
10/6/2016
महानिदेशक
चिकि०,स्वा०एवं प०क०,उत्तराखण्ड
Gabbar Jattar-2016
Sri M S Rawat
13.6.16

JDMC
13/6/16

Respected Sir
Kindly attention
14.6.16

1762
13/6/16

क्रम संख्या–187

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 31 अक्टूबर, 2015 ई०
कार्तिक 09, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या 1889/XXVIII-2/04(81)2007
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०–145

राज्यपाल, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015' है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी;

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी;

परन्तु यह कि नैदानिक स्थापनों के भिन्न–भिन्न प्रवर्गों और भिन्न–भिन्न मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं

इस नियमावली में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(ख) "राज्य परिषद" से उत्तराखण्ड राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नही हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में है।

अध्याय–दो

उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन परिषद का गठन

3. गठन

राज्य सरकार, अधिनियम में उपबन्धित रीति से अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन परिषद का गठन करेगी।

4. राज्य परिषद के कृत्य

राज्य परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी; अर्थात् :–

(क) नैदानिक स्थापनों की राज्य पंजिकाओं को संकलित और अद्यतन करना;

(ख) राष्ट्रीय पंजिका को अद्यतन करने के लिए अंकीय प्ररूप में मासिक विवरणियां भेजना;

(ग) राष्ट्रीय परिषद् में राज्य का प्रतिनिधित्व करना;

(घ) प्राधिकरण के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(ङ) उत्तराखण्ड राज्य के भीतर मानकों को कियान्वित करने के सम्बन्ध में वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करना ;

(च) अधिनियम के उपबन्धों एवं नियमों के कियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(छ) तकनीकी अथवा सामाजिक परिवर्तन के कारण, नियमावली में सुधार हेतु सरकार को संस्तुति करना;

(ज) राष्ट्रीय परिषद द्वारा बनाये गये किसी अन्य कार्य का कियान्वयन; एवं

(झ) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा नियत कोई अन्य कार्य।

5. उप समिति

(1) राष्ट्रीय परिषद और/अथवा केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर किसी विशेष विषय पर विचार हेतु राज्य परिषद् अपने सदस्यों में से ऐसी संख्या में ऐसी अवधि के लिये जो दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी, एक उप समिति का गठन कर सकेगी।

(2) उप समिति के गठन के पश्चात, इसके कार्य, सदस्यों की संख्या तथा कार्य समाप्त करने की समय सीमा का निर्धारण राज्य परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य परिषद, उपसमिति के गठन की तारीख को उपसमिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करेगी।

(3) उपसमिति द्वारा लिए गये निर्णय, राज्य परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे।

6. राज्य परिषद का कार्य संचालन

(1) राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) राज्य परिषद की बैठकें साधारणतया राज्य की राजधानी में परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर होंगी। परिषद् की बैठक 03 माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी।

(3) राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक, विशेष बैठक को छोडकर, की सूचना सदस्य–सचिव, द्वारा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि से 01 सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

(4) राज्य परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ती (कोरम) होगी, तथा परिषद के निर्णयों का अनुमोदन बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा।

(5) परिषद् की बैठक की कार्यवाही, कार्यवृत्त के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी तथा कार्यवृत्त अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं प्रमाण के उपरान्त सम्पुष्ट होगा।

(6) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और तदनुसार अनुमोदित कार्यवृत्त राज्य परिषद के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों को भरना

(1) राज्य परिषद का कोई सदस्य यदि अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र लिखित में अध्यक्ष को सन्दर्भित करेगा। ऐसा प्रत्येक त्याग पत्र आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा, किन्तु यदि आवेदन में कोई तारीख उल्लिखित न हो तो अध्यक्ष को ऐसा त्याग पत्र प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी समझा जायेगा।

(2) जब किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या अन्य किसी कारणवश आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो जाये तो अध्यक्ष राज्य सरकार को सूचित करेगा। राज्य सरकार यथास्थिति, नामांकन अथवा निर्वाचन द्वारा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति कर सकेगी।

8. वित्त एवं लेखे

राज्य परिषद के लेखों का वार्षिक परीक्षण लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा, जिसकी नियुक्ति महालेखाकार, उत्तराखण्ड के पूर्व अनुमोदन से की जायेगी। लेखा परीक्षण पर आने वाला व्यय राज्य परिषद द्वारा वहन किया जायेगा।

अध्याय–तीन
जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण

9. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण हेतु प्रत्येक जिले के लिए, जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

10 जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के कार्य

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं; अर्थात्:–

(क) नैदानिक स्थापनों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना, नवीनीकरण, निलम्बन अथवा निरस्त करना;

(ख) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का कियान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) अधिनियम की शर्तों या इसके अन्तर्गत नियमों के उल्लंघन की शिकायतों का परीक्षण कर त्वरित कार्यवाही करना;

(घ) प्राधिकरण द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की संख्या, प्रकृति तथा स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जो निर्गत, निरस्त, निलम्बित या अस्वीकृत किये जाये, की विस्तृत आख्या राज्य परिषद को प्रस्तुत करना;

(ङ) राज्य परिषद् को अपंजीकृत नैदानिक स्थापनों, जिन्होनें अधिनियम का उल्लंघन किया है, के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की तिमाही प्रस्तुत करना;

(च) कोई अन्य कार्य जो केन्द्रीय और/या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये हों।

11 जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का कार्य संचालन

(1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, इसका अध्यक्ष करेगा।

(2) प्राधिकरण की बैठक न्यूनतम एक माह में निर्धारित तिथि व समय पर होगी।

(3) प्रत्येक बैठक, विशेष बैठक को छोड़कर, की सूचना संयोजक द्वारा बैठक की तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

(4) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा पूर्ण होगी। प्राधिकरण के कृत्यों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा।

(5) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाही, अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त कार्यवृत्त के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी।

(6) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ संयोजक, अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और तद्नुसार अनुमोदित कार्यवृत्त जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

12 त्याग–पत्र एवं आकस्मिक रिक्तियां भरना

किसी कारणवश जैसे किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र, कार्य करने में असमर्थता एवं अस्वस्थता से यदि कोई आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है तो प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसी रिक्ति के लिए नई नियुक्ति करेगा :

परन्तु यह कि उक्त नियुक्ति केवल ऐसे सदस्य की शेष अवधि तक के लिए होगी।

अध्याय–चार
नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

13 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(1) आवेदक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, व्यक्तिगत रूप से, डाक से या ऑनलाईन द्वारा आवश्यक सूचनाओं सहित अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा निर्धारित **प्ररूप**--1 पर करेगा।

(2) केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली (जैसे MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, Yoga, Naturopathy and Sowa Rigpa) के डिग्रीधारकों द्वारा संचालित स्थापनों का ही नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत अनन्तिम पंजीकरण (Provisional Registration) किया जायेगा।

(3) आवेदक, स्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, डाक से या ऑनलाईन द्वारा आवश्यक सूचनाओं एवं नैदानिक स्थापन के विभिन्न प्रवर्गो के लिए कार्मिकों और न्यूनतम मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त साक्ष्यों सहित, प्रारूप–1 पर आवेदन करेगा।

(4) यदि कोई स्थापन, एक से अधिक प्रवर्गों में सेवा प्रदान कर रहा है, तो स्थापन को प्रत्येक प्रवर्ग के लिए, अनन्तिम या स्थाई रजिस्ट्रीकरण हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा, किन्तु यदि कोई प्रयोगशाला अथवा उपचारात्मक केन्द्र ऐसे स्थापन का भाग हो और बाह्य व अन्तःरोगी उपचार प्रदान कर रहा हो तो पृथक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

14 आवेदन की अभिस्वीकृति

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति आवेदन को, यदि डाक द्वारा प्राप्त करता है तो, प्राप्ति के तुरंत बाद या अगले कार्य दिवस पर **प्ररूप–2** पर प्राप्ति रसीद देगा और ऑनलाईन आवेदन की प्राप्ति कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वयं दी जयेगी।

15 अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

प्राधिकरण अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति के लिए कोई पूछताछ नही करेगा तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के भीतर अनन्तिम प्रमाण–पत्र अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत **प्ररूप–3** पर जारी करेगा।

16 स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण –पत्र

(1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, नैदानिक स्थापन के लिए अधिनियम की धारा 28 और 30 में निहित आवश्यक व न्यूनतम मानक एवं कार्मिक, जो स्थापन को चलाने के लिए सभी शर्तो को पूर्ण करते हों, से संतुष्ट होने पर, आवेदक को स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र **प्ररूप 4** पर डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनीकली भेजेगा।

(2) अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत स्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को स्वीकार करना एवं आवेदन को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण एक माह के भीतर आदेश पारित करेगा:

परन्तु यह भी कि स्थाई रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने की दशा में, प्राधिकरण इसके न्यायोचित कारण अभिलिखित करेगा।

17 शुल्क

(1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) सपठित धारा 19, 22, 24 एवं 35 के अधीन **प्ररूप–5** में उपबन्धित अंनतिम और स्थाई रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण आवेदन में विलम्ब, प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, स्वामित्व का अन्तरण अथवा स्थापन के नाम हेतु भिन्न–भिन्न शुल्क अधिरोपित किये जायेंगे।

(2) सरकार (केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय निकाय) द्वारा स्वयं स्थापित नियंत्रित और प्रबन्धन अथवा सरकारी विभागों के नैदानिक स्थापन, रजिस्ट्रीकरण शुल्क से मुक्त होगें।

(3) नैदानिक स्थापनों के विभिन्न वर्गों के लिए **प्ररूप–5** में उपबन्धित शुल्क को राज्य परिषद, राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के माध्यम से संशोधित कर सकेगी।

(4) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत **प्ररूप–5** में उपबन्धित शुल्क का भुगतान सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट अथवा आनलाईन बैंकिंग द्वारा किया जायेगा।

(5) प्राधिकरण द्वारा नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए लिया गया शुल्क, राष्ट्रीयकृत बैंक में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के अधिकारिक पदनाम से खोले गये खाते में जमा किया जायेगा। इस धन का उपयोग प्राधिकरण द्वारा अधिनियम में उपबन्धित कार्य–कलापों के कियान्वयन में किया जायेगा।

(6) लेखों का अनुरक्षण वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा, जिसके परीक्षण के लिए लेखा निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। वार्षिक लेखा परीक्षण की सूचना राज्य परिषद् को भी दी जायेगी।

(7) यदि स्थापन के स्वामित्व या व्यवस्थापन में कोई परिवर्तन की घटना होती है तो, ऐसा नैदानिक स्थापन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को एक महीने के भीतर, इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना सहित **प्ररूप 5** में उपबन्धित शुल्क के साथ अनंतिम या स्थाई रजिस्ट्रीकरण, जैसी स्थिति हो, के लिए नवीन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु लिखित में आवेदन करेगा और अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पुराने प्रमाण–पत्र को अभ्यर्पित करेगा।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (अनन्तिम या स्थाई) के खो जाने या नष्ट हो जाने पर नैदानिक स्थापन के प्रबन्धक या स्वामी द्वारा जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को **प्ररूप 6** पर द्वितीय प्रति के लिए, निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करेगा और अधिनियम की धारा 19 के अधीन अनन्तिम/स्थाई प्रमाण–पत्र पर "द्वितीय प्रति" अंकित की जायेगी।

18 रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण

(1) नैदानिक स्थापन, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी होने की 12 मास की वैधता अवधि समाप्त होने के 01 माह पूर्व **प्ररूप 5** में उपबन्धित शुल्क सहित स्थाई रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा। यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन समय–सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो प्राधिकारी नियत नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि एवं रू0 100/– प्रतिदिन शास्ति की दर से विलम्ब शुल्क के भुगतान के बाद अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आवेदन स्वीकार करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्थाई रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए, स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की पांच वर्ष की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व छः मास की अवधि के भीतर **प्ररूप–5** में उपबन्धित शुल्क सहित आवेदन किया जायेगा।

(3) यदि नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नही किया जाता है, तो प्राधिकारी नियत नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि एवं रू0 100/– प्रतिदिन विलम्ब शुल्क और शास्ति का संदाय, जो **प्ररूप–5** में उपबन्धित के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण प्राप्त कर सकेगा।

पंजिकाओं का रख–रखाव, विवरणियों और सूचनाओं का सम्प्रदर्शन

19 पंजिकाओं का रख–रखाव

(1) प्रत्येक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, पंजीकृत नैदानिक स्थापनों का उसकी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर संकलन, प्रकाशन और अंकीय प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा और वह जारी किये गये प्रमाण पत्र की विशिष्टियां, अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), (2) और 38 की उपधारा (1) तथा (2) के अन्तर्गत **प्ररूप 7** के अनुसार अनुरक्षित की जाने वाली पंजिका में दर्ज करेगा।

(2) प्रत्येक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, जिसके अन्तर्गत तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए गठित कोई अन्य प्राधिकरण भी है, अधिनियम में उपबन्धित रीति से नैदानिक स्थापनों की पंजिका में की गयी प्रत्येक प्रविष्टि को अंकीय प्रारूप में 01 प्रति, राज्य परिषद को भेजी जायेगी।

20 सूचनाओं का प्रदर्शन

(1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण जारी किये जाने की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार अनन्तिम रूप से पंजीकृत नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, किस चिकित्सा विधा की सेवायें दी जा रही है, सेवा का प्रकार एवं प्रकृति जो प्रदान की जा रही हो, स्वास्थ्य कर्मियों यथा चिकित्सक, नर्स आदि का विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में उपबन्धित है, को दो स्थानीय समाचार पत्रों तथा जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाएगा।

(2) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण अधिनियम की धारा 26 में उपबन्धित नैदानिक स्थापन के विशिष्ट वर्ग में न्यूनतम मानकों के संकलन की सूचनाओं को सात दिन की अवधि के भीतर जनसाधारण की जानकारी के लिए दो स्थानीय समाचार पत्रों तथा प्राधिकरण की वेबसाईट पर नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, प्रभारी व्यक्ति का नाम, जिस चिकित्सा विधा में सेवायें प्रदत्त की जा रही है, प्रदत्त सेवाओं की प्रकृति, प्रकार, एवं उनके लिए निर्धारित शुल्क (**प्ररूप–8** के अनुसार) और स्वास्थ्य कर्मियों (चिकित्सक, नर्से आदि) का विवरण प्रदर्शित करेगा।

(3) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण उपरोक्त सूचनाओं को स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले जनसाधारण की जानकारी और आपत्ति के लिए तीस दिन के लिए संप्रदर्शित करेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति को नैदानिक स्थापन के संबंध में प्रकाशित सूचना पर कोई आपत्ति हो तो, वह कारण और साक्ष्य सहित आपत्ति लिखित रूप में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को देगा।

(5) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत जिन नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण (अनन्तिम या स्थाई) की वैधता समाप्त हो गई हो, जन–साधारण की जानकारी के लिए अवधि समाप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रकाशित करेगा।

21 नैदानिक स्थापनों द्वारा सूचना प्रदान करना

(1) नैदानिक स्थापनों द्वारा उपचारित किये गये मरीजों का चिकित्सा अभिलेख और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सन्दर्भ में स्वास्थ्य सांख्यिकी सूचना की त्रैमासिक रिपोर्ट जिला प्राधिकरण को भेजी जायेगी। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों द्वारा चिकित्सा अभिलेखों का अनुरक्षण और सूचना की प्रकृति जो प्रदान करनी है, **प्ररूप–9** के अनुसार रखी जायेगी।

(2) नैदानिक स्थापन, समस्त अभिलेखों और सांख्यिकी एवं तत्समय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के अन्तर्गत कोई अन्य संगत अधिनियम जो लागू हो, की प्रतियां न्यूनतम तीन वर्ष हेतु रखेगा। समस्त नैदानिक स्थापन, आपदा या महामारी की सूचनाएं एवं सांख्यिकी को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) राज्य सरकार, नैदानिक स्थापनों द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं की प्रकृति, अधिसूचित करेगी। इस प्रयोजनार्थ अन्य बीमारियां जो निर्धारित अंतराल पर हों, भी अधिसूचित की जायेगी।

(4) नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के विशिष्ट उपबन्धों के साथ–साथ समस्त नैदानिक स्थापन तत्समय देश में अन्य लागू अधिनियम और नियमावली की सूचनाओं और सांख्यिकी का पालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

22 प्रवेश करने की शक्ति

(1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी या दल, प्राधिकरण के किसी सामान्य विशिष्ट आदेश से नैदानिक स्थापन में प्रवेश और तलाशी कर सकेगा। ऐसा निर्णय जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के उपस्थित सदस्यों द्वारा लिया जाना अपेक्षित होगा।

(2) यदि बिना रजिस्ट्रीकरण के नैदानिक स्थापन चल रहा हो, या न्यूनतम उपबन्धित मानकों का पालन नहीं कर रहा हो, या सन्देह हो कि नैदानिक स्थापन का उपयोग रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्यों से भिन्न कार्यों में किया जा रहा है या अधिनियम और नियमावली के किन्ही प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा हो, अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत किसी युक्तियुक्त समय पर प्राधिकरण द्वारा नैदानिक स्थापन में प्रवेश कर, तलाशी ली जा सकती है। प्राधिकरण किसी भी अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज, उपकरणों एवं वस्तुऐं जो भी आवश्यक समझी जायें, का निरीक्षण कर सकेगा।

(3) निरीक्षण दल, स्थापन में निरीक्षण करने की तिथि की लिखित रूप मे सूचना देगा। दल नैदानिक स्थापन द्वारा उपयोग में लाये गये या प्रयोजनार्थ परिसर के समस्त हिस्सों का परीक्षण और उपकरणों, फर्नीचर व अन्य सहायक सामान तथा नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की पेशेवर शैक्षिक योग्यता का तथा अन्य किसी

सूचना जो नैदानिक स्थापन द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र में दी गयी हो, का परीक्षण एवं निरीक्षण कर सकेगा। नैदानिक स्थापन चलाने वाले सभी व्यक्ति निरीक्षण दल को पूर्ण एवं सही सूचना देने के लिए बाध्य होगे।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी या गठित निरीक्षण दल, निरीक्षण रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर प्ररूप–10 पर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को देगा तथा एक प्रति राज्य परिषद् भी भेजेगा।

अध्याय–पाँच

दण्ड और अपील

23 दण्ड

(1) अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1), (2), (3) और धारा 42 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के उपबन्ध के अनुसार, जो कोई नैदानिक स्थापन बिना रजिस्ट्रीकरण के चला रहा हो अथवा अरजिस्ट्रीकृत स्थान में सेवा दे रहा हो या जानबूझकर निदेशों का पालन नही कर रहा हो, या प्राधिकारी को किसी कृत्य के निर्वहन में बाधा पहुंचा रहा हो या इस प्रकार की सूचना को छुपा रहा हो या असत्य सूचना प्रदान कर रहा हो तो, वह आर्थिक दण्ड का भागीदार होगा।

(2) जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चलाएगा, दोष सिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रूपये तक की, दूसरे अपराध के लिए दो लाख रूपये तक की, और किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी धनराशि की शास्ति से, जो पांच लाख रूपये तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी नैदानिक स्थापन की सेवा करेगा, जो अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत नही है, ऐसी धनराशि की शास्ति से, जो पच्चीस हजार रूपये तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

(4) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपनियम (2) के अधीन शास्तिक रकम का संदाय नहीं किया जाता है तो ऐसी रकम भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

(5) प्राधिकरण द्वारा जमा किया गया अर्थ दण्ड, प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीयकृत बैक में सम्बन्धित प्राधिकरण के द्वारा खोले गये खाते में जमा होगा तथा परिषद् और प्राधिकरण द्वारा यह धन अधिनियम के उपबन्धो के कियान्वयन के लिए उपयोग किया जायेगा।

24 अपील

(1) अधिनियम की धारा 29, 34, 41 और धारा 42 के अधीन कोई व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित हो तो, वह राज्य परिषद् को तीन माह के भीतर प्ररूप 5 में उपबन्धित शुल्क भुगतान कर, अपील कर सकेगा।

(2) अपील की प्राप्ति के बाद राज्य परिषद् अपील की सुनवाई हेतु समय एवं तिथि निश्चित कर, अपीलार्थी और अन्य सम्बन्धित को पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित करेगी तथा सुनवाई के लिए न्यूनतम पन्द्रह दिन का समय देगी।

(3) अपीलकर्ता स्वयं या अधिकृत व्यक्ति या कानूनी पेशेवर के माध्यम से अपील के समर्थन में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) राज्य परिषद् सम्बन्धित अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त मौखिक दस्तावेज/सबूत के आधार पर, सुनवाई करेगा तथा अपीलकर्ता द्वारा अपील दायर करने की तिथि से 90 दिन के भीतर परिषद् के आदेश को अपीलकर्ता को भेजेगा।

(5) यदि परिषद् का यह मत है कि विषयगत प्रकरण में अन्तरिम आदेश पारित किये जा सकते हैं तो, वह इस तरह से आदेश पारित करेगी कि अपील का अन्तिम निस्तारण स्थगित किया जा सके। राज्य परिषद का आदेश अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(6) राज्य परिषद द्वारा लिया गया अपील शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते में जमा किया जायेगा। यह धनराशि परिषद् और प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के कियान्वयन हेतु उपयोग में लायी जा सकेगी।

प्रारूप–1

नैदानिक स्थापनों के अस्थायी पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र

1. स्थापन का नाम.....

2. पता.....

गांव / कस्बा.....तहसील.....जिला.....

राज्य.....पिनकोड.....दूरभाष नं.....मो0न0.....

फैक्स..... ई.मेल.आईडी.....वेबसाईट.....

3. प्रारम्भ करने का वर्ष.....

4. स्थान..... ग्रामीण..... शहरी ..... महानगरीय.....

5. स्वामित्व

पब्लिक सैक्टर–

केन्द्र सरकार ..... राज्य सरकार ..... स्थानीय स्वःशासन .....

सार्वजनिक उपकम ..... रेलवे ..... ई.एस.आई.सी. .....

स्वायत्तशासी संस्थान .....अन्य .....

निजी क्षेत्र (कृपया इंगित करें)

व्यक्तिगत स्वामित्व.....पंजीकृत भागीदारी..... पंजीकृत कम्पनी .....

सहकारी समिति..... चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्था (केन्द्र व राज्य के नियमों के अधीन पंजीकृत).....

अन्य.....

6. नैदानिक स्थापन के स्वामी का नाम.....

शैक्षिक योग्यता.....

पता.....

गांव / कस्बा.....तहसील.....जिला.....

राज्य.....पिनकोड.....दूरभाष नं.....मो0न0.....

फैक्स..... ई.मेल.आईडी.....वेबसाईट.....

7. नैदानिक स्थापन के प्रभारी का नाम

पदनाम.....शैक्षिक योग्यता.....

पता.....

गांव / कस्बा.....तहसील.....जिला.....

राज्य.....पिनकोड.....दूरभाष नं.....मो0न0.....

फैक्स..... ई.मेल.आईडी.....वेबसाईट.....

8. नैदानिक स्थापन द्वारा प्रदान की जानी वाली चिकित्सा पद्धति (जो लागू हो उस पर सही का निशान करें)

एलोपैथिक....., आयुर्वेदिक....., यूनानी....., सिद्धा....., होम्यापैथी .....

योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा.....,

9. नैदानिक स्थापन का स्वरूप/प्रकार

बाह्य रोगी

एकल चिकित्सक.....,पोलीक्लीनिक.....,उपकेन्द्र.....,फिजियोथिरेपी क्लीनिक.....

डिस्पेंसरी....., इन्फर्टीलिटी क्लीनिक.....,डैन्टल क्लीनिक .....,ओक्यूपेशनल थिरेपी....

आईसीटीसी केन्द्र.....,अन्य.....,डायलिसिस केन्द्र....., वैलनेस/फिटनेस केन्द्र.....

अन्तःरोगी उपचार

चिकित्सालय.....,नर्सिंगहोम.....,प्रसूति केन्द्र.....,प्राथ0 स्वा0 केन्द्र.....,साम0स्वा0केन्द्र.....

सैनेटोरियम .....,अन्य(कृपया स्पष्ट करें).....

परीक्षण और निदानात्मक सेवायें

प्रयोगशाला

पैथोलोजी.....,हिमैटोलोजी.....,बायोकैमेस्ट्री.....,माइकोबायोलॉजी.....

जेनेटिक्स.....,संग्रह केन्द्र.....,कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

निदानात्मक एवं इमेजिंग केन्द्र

एक्स–रे सेंटर.....मेमोग्राफी.....बोन डेन्सिटोमेन्ट्री.....सोनोग्राफी.....

कलर डॉप्लर.....सी0टी0स्कैन.....एम0आर0आई.....पी0ई0टी0 स्कैन.....ई0एम0जी0.....

कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

10. चिकित्सा सेवा की प्रकृति

(जो लागू हो उस पर सही का निशान करें)

सभी चिकित्सा पद्धतियों के लिए

सामान्य.....,एकल विशेषज्ञता.....,बहु विशेषज्ञता.....,सुपर स्पेशलिटी.....,

सचल चिकित्सा.....,अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(ए) एलोपैथी

सामान्य प्रैक्टिस.....,बाह्य रोगी.....अन्तः रोगी.....,डे–केयर सेन्टर.....

आकस्मिक चिकित्सा..... आई.सी.यू. ....., आई.सी.सी.यू.....,

विकलांगों हेतु विशेष चिकित्सा सेवा.....ब्लड बैंक.....,अंग/ऊतक बैंक.....,

अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(बी) आयुर्वेद

औषध चिकित्सा.....,शल्य चिकित्सा .....,शोधन चिकित्सा.....,रसायन.....

पथ्य व्यवस्था....., अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(सी) यूनानी

मताब....., जराहट....., इलाज–बित–तदबीर.....,हिफ्जान–ए–सेहत.....

अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(डी) सिद्धा

मारूथुवम.....,सिरप्पू मारूथुवम.....,वरमन थोक्कनाम एवं योगा.....

अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(इ) होम्यापैथी

सामान्य होम्यापैथी....., अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(एफ) प्राकृतिक चिकित्सा

प्राकृतिक प्रकियाओ से वाह्य चिकित्सा....., आन्तरिक चिकित्सा.....

अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

(जी) योगा
(कृपया स्पष्ट करें)

अवस्थापना विवरण

11. स्थापन का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

(ए) कुल क्षेत्र.....(बी) निर्मित क्षेत्र.....

12. वाह्य रोगी विभाग

12–1 वाह्य रोगी क्लीनिक की कुल संख्या.....

12–2. वाह्य रोगी क्लीनिक का विशेषज्ञतावार विवरण–

क.सं.	विशेषज्ञता	कुल कक्षों की संख्या

13. अन्तः रोगी विभाग–.....

13–1 कुल शैय्याओं की संख्या.....

13–2 विशेषज्ञतावार वितरित शैय्याओं की संख्या

क.सं.	विशेषज्ञता	कुल शैय्याओं की संख्या

14. बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम से लाईसेंस की स्थिति–

हाँ ..... नहीं ....., आवेदन किया है .....

15. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की स्थिति

हाँ ....., नहीं ....., आवेदन किया है .....

मानव संसाधन

16. कर्मचारियों की कुल संख्या (आवेदन की तिथि को)

स्थायी कर्मचारियों की संख्या .....अस्थायी कर्मचारियों की संख्या.....

(नीचे दिये गये प्रारूप में अंकित करें)

पदनाम/वर्गीकरण	नाम	शैक्षिक योग्यता	पंजीकरण (जहां लागू हो)	सेवा की प्रकृति स्थायी/अस्थायी
चिकित्सक				
नर्सेज				
पैरा–मैडिकल स्टाफ				
फार्मासिस्ट				
सहा0कर्मचारी				
अन्य (कृपया स्पष्ट करें)				

अधिक विवरण के लिए पृथक सीट लगाई जा सकती है।

17. पंजीकरण शुल्क के विकल्प–

ऑनलाईन ..... डिमांड ड्राफ्ट.....,पोस्टल ऑर्डर .....अन्य (कृपया स्पष्ट करें).....

धनराशि रू0.....

विवरण.....

रसीद सं.....

मैं.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त भरे गये विवरण मेरे ज्ञान से सत्य व सही है। मैं नैदानिक स्थापन (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010 के सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त विवरण में किसी परिवर्तन को मैं तत्काल पंजीकरण प्रभारी को सूचित करूंगा/करूंगी।

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर

प्रारूप–2

नैदानिक स्थापन के पंजीकरण की अभिस्वीकृति

जिला पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा दिनांक.....को .....(चिकित्सा संस्था का नाम) का प्रार्थना पत्र नैदानिक स्थापन हेतु पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत करने/नवीनीकरण करने/स्थायीकरण करने हेतु प्राप्त किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र

पूर्ण है

अथवा

अपूर्ण है।

यह अभिस्वीकृति पंजीकरण हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

सील

हस्ताक्षर व पदनाम

स्थान–

दिनांक–

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का पदनाम

प्रारूप–3
नैदानिक स्थापन हेतु अनन्तिम प्रमाण–पत्र

अनन्तिम पंजीकरण संख्या–
निर्गत करने की तिथि–
वैधता की तिथि–

1. नैदानिक स्थापन का नाम.....
2. पता.....
3. नैदानिक स्थापन के स्वामी का नाम.....
4. नैदानिक स्थापन के प्रभारी का नाम.....
5. उपचार की चिकित्सा पद्धति का नाम.....
6. नैदानिक संस्था का प्रकार.....

नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार मैं उक्त संस्थान को अनन्तिम रूप से पंजीकृत कर रहा हूँ।

उक्त प्रमाणन, नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बनायी गई नियमावली की शर्तो के अधीन है।

स्थान–
दिनांक–

निर्गत करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर व पदनाम

जिला पंजीकरण प्राधिकारी
पता–.....
.....
शिकायत हेतु फोन नं.

प्रारूप–4
नैदानिक स्थापन हेतु स्थायी प्रमाण–पत्र

स्थायी पंजीकरण संख्या–
निर्गत करने की तिथि–
वैधता की तिथि–

1. नैदानिक स्थापन का नाम.....
2. पता.....
3. नैदानिक स्थापन के स्वामी का नाम.....
4. नैदानिक स्थापन के प्रभारी का नाम.....
5. उपचार की चिकित्सा पद्धति का नाम.....
6. नैदानिक संस्था का प्रकार.....

नैदानिक स्थापन का पंजीकरण व विनियमन एक्ट 2010 के अन्तर्गत नियमों के अधीन मैं उक्त संस्थान को स्थायी रूप से पंजीकृत कर रहा हूँ।

उक्त प्रमाणन नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बनायी गई नियमावली की शर्तो के अधीन है।

स्थान–
दिनांक–

निर्गत करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर व पदनाम

जिला पंजीकरण प्राधिकारी
पता–.....
.....
शिकायत हेतु फोन नं.

प्रारूप–5

{कृपया नियम 17, 18 तथा 24 देखें}

रजिस्ट्रीकरण शुल्क का विवरण (धनराशि ₹ में)

विवरण	शहरी				ग्रामीण			
	अस्थाई		स्थाई		अस्थाई		स्थाई	
	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी	सामान्य	सुपर स्पेशलिटी
वाह्य रोगी उपचार	2000	4000	5000	10000	1500	3000	3000	6000
अन्तःरोगी उपचार								
01 से 10 शैय्या	7000	14000	18000	25000	5000	10000	10000	15000
11 से 20 शैय्या	10000	18000	20000	30000	8000	15000	15000	20000
21 से 30 शैय्या	20000	25000	40000	50000	15000	25000	30000	40000
31 से 40 शैय्या	30000	40000	60000	80000	25000	35000	40000	60000
41 से 50 शैय्या	40000	60000	80000	120000	35000	45000	60000	80000
51 से 100 शैय्या	80000	120000	100000	150000	60000	90000	90000	120000
101 से 500 शैय्या	100000	150000	120000	180000	80000	100000	100000	150000
500 से अधिक	150000	180000	180000	220000	120000	150000	150000	200000
निदान व परीक्षण केन्द्र	5000		20000		3000		10000	
प्रयोगशाला	3000		15000		2000		5000	

टिप्पणी– यदि कोई प्रयोगशाला अथवा निदान व परीक्षण केन्द्र किसी स्थापन के भाग के रूप में वाह्य/अन्तःरोगी उपचार प्रदान करता हो तो, पृथक से रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अन्य फीस

- स्थाई रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क की आधी धनराशि देय होगी।
- नवीनीकरण का आवेदन देरी से प्रस्तुत करने पर, नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि सहित रू0 100/–प्रतिदिन शास्ति के हिसाब से शुल्क देय होगा।
- प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु धनराशि रूपये 200/–शुल्क लिया जायेगा।
- स्वामित्व, प्रबन्धन अथवा नैदानिक स्थापन के नाम में परिवर्तन पर धनराशि रूपये 100/– का शुल्क लिया जायेगा।
- किसी भी अपील के लिए धनराशि रूपये 100/– का शुल्क लिया जायेगा।

प्रारूप–6

नैदानिक स्थापन हेतु द्वितीय प्रमाण–पत्र

अस्थायी / स्थायी पंजीकरण संख्या–
निर्गत करने की तिथि–
वैधता की तिथि–

1. नैदानिक स्थापन का नाम.....

2. पता.....

3. नैदानिक स्थापन के स्वामी का नाम.....

4. नैदानिक स्थापन के प्रभारी का नाम.....

5. उपचार की चिकित्सा पद्धति का नाम.....

6. नैदानिक संस्था का प्रकार.....

नैदानिक स्थापन का पंजीकरण व विनियमन अधिनियम, 2010 के नियमों के अन्तर्गत मैं उक्त संस्थान को अस्थायी / स्थायी रूप से पंजीकृत कर रहा हूँ।

उक्त प्रमाणन, नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बनायी गई नियमावली की शर्तो के अधीन है।

स्थान–
दिनांक–

पंजीकरण निर्गत करने वाले अधिकारी
हस्ताक्षर व पदनाम

जिला पंजीकरण प्राधिकारी
पता–.....
.....
शिकायत हेतु फोन नं.

प्रारूप–7

नैदानिक स्थापन हेतु राज्य/जिला पंजीकरण पंजिका

वांछित सूचनाओं का विवरण

(क) राज्य/जिला स्तर पर

नैदानिक स्थापनों की कुल सुख्या

वर्ग

चिकित्सा पद्वति

प्रदत्त सेवा का प्रकार

ग्रामीण/शहरी/महानगर

शैय्याओं की संख्या

नैदानिक स्थापनों की घटती/बढ़ती संख्या

किये गये निरीक्षणों की संख्या

अनिस्तारित आवेदनों की संख्या, कारणों सहित

अधिनियम का उल्लंघन करने वाले एवं अपंजीकृत स्थापनों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

राज्य परिषद द्वारा प्राप्त की गयी शिकायतों का निस्तारण एवं की गयी कार्यवाही

(ख) विस्तृत सूचना

प्रत्येक नैदानिक स्थापन का विवरण

नाम

विवरण सहित स्थान

ग्रामीण/शहरी/महानगर

ग्राम/टाउन

तहसील

जिला

राज्य

पिन कोड

फोन नम्बर

ई–मेल आईडी

स्वामित्व का विवरण

स्वामी का नाम

शैक्षिक योग्यता

नैदानिक स्थापन के प्रभारी का नाम

शैक्षिक योग्यता

शहरी/ग्रामीण पदनाम

उपचार की पद्वति

नैदानिक स्थापन का प्रकार (नियमावली के नियम– के अनुसार)

नैदानिक स्थापन की प्रकृति (नियमावली के नियम– के अनुसार)

शैय्याओं की सख्या (अन्तःरोगी उपचार हेतु पद्वतिवार व विशेषज्ञतावार)

कुल कर्मचारी

कुल डिस्चार्ज

चिकित्सालय में औसत ठहराव

उपयोगिता आंकड़े

कर्मचारियों का विस्तृत विवरण, नाम, शैक्षिक योग्यता, पंजीकरण संख्या, अस्थाई एवं स्थाई कार्मिकों की कुल संख्या

प्रारूप–8

सेवाओं हेतु लिये जाने वाले शुल्क का प्रदर्शन

सेवा का नाम	सेवा का प्रकार	शुल्क (रूपये में)
कक्ष शुल्क (कक्ष/शैय्या शुल्क, नर्सिंग शुल्क एवं चिकित्सा उपकरण के शुल्क सहित)	सामान्य सेवा प्राईवेट कक्ष सेमी डिलक्स (शेयर्ड) डिलक्स ए0सी0 सहित	
आई0सी0यू0 (आई0सी0यू0 शैय्या शुल्क, नर्सिंग शुल्क, चिकित्सा उपकरण एवं मॉनिटरिंग शुल्क सहित)	एम0आई0सी0यू0 आई0सी0यू0 न्यूरो पी0ओ0डब्ल्यू नियोनेटल आई0सी0यू0 पिडियाट्रिक्स आई0सी0यू0	
शल्य कक्ष (ओ0टी0) शुल्क		
सामान्य निश्चेतना (प्रति घण्टा)	सामान्य कक्ष ट्विन/ट्रिपल शेयरिंग	
सामान्य निश्चेतना (01घण्टा)	सामान्य कक्ष ट्विन/ट्रिपल शेयरिंग	
स्थानीय निश्चेतना	आधा (1/2) घण्टा 01 घण्टा	
शल्य प्रकिया शुल्क (पैकेज) (सर्जन शुल्क + एनेस्थेटिस्ट शुल्क + नर्सिंग होम शुल्क और अन्तःरोगी मेडिसिन शुल्क)	सामान्य शल्य प्रकिया स्त्री एवं प्रसूति प्रकिया अस्थि शल्य प्रकिया हृदय (कार्डियक) शल्य प्रकिया	
चिकित्सक परामर्श शुल्कः बाहय रोगी	स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट	
अन्तःरोगी विज़िट	प्रतिभ्रमण (प्रति विज़िट)	
इमरजन्सी विज़िट	प्रतिभ्रमण (प्रति विज़िट)	
इमरजन्सी क़ेयर टीम शुल्क	प्रतिदिन 03 शिफ्ट	
डाईग्नोस्टिक शुल्क		
सामान्य निदान परीक्षण, एक्स–रे प्रति फिल्म		
अल्ट्रसाउण्ड, सामान्य एवं ऑब्सटेट्रिक केयर	एब्डोमेन महिला पेल्विक के0यू0बी0	
सी0टी0स्कैनः मल्टीस्लाइस/स्पाइरल सी0टी0स्कैन	ब्रेन प्लेन चेस्ट/एब्डोमेन/नैक(गर्दन)/स्पाइन	

एम0आर0आई0 (0.5 / 1 / 1.5)	ब्रेन चेस्ट कन्ट्रास्ट	
ई0सी0जी0 / टी0एम0टी0 / ई0सी0एच0ओ0 / ई0एम0जी / ई0ई0जी0		
ऊपरी जी0आई0 एन्डोस्कोपी / लोअर जी0आई0 एन्डोस्कोपी		
लैब इन्वेस्टीगेशन		
रेण्डम ब्लड शुगर		
सीरम किएटिनिन		
ब्लड ग्रुप		
मलेरिया परजीवी (एम0पी0) के लिए रक्त		
लीवर फंक्शन टैस्ट (एल0एफ0टी0)		
लिपिड प्रोफाईल		
एच0बी0एस0ए0जी0 / वी0डी0आर0एल0 / एच0आई0वी0		
इलेक्ट्रोलाइट्स टी0–3, टी0–4, टी0एस0एच0		
अन्य कोई मद / वस्तु (जो उपरोक्त में सम्मिलित न हो)		

नोटः , अन्तः रोगी के लिए अन्य सेवा शुल्क यथा ड्रग्स (औषधि) / डिस्पोज़ेबल्स , इन्वेस्टीगेशन्स (जांच) एवं छूट, यदि कोई हो तो, रोगी के हित के लिए उचित स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी।

प्रारूप–9

नैदानिक स्थापनों द्वारा अभिलेखों का रख–रखाव

नैदानिक स्थापनों द्वारा विभिन्न चिकित्सकीय अभिलेखों का रख–रखाव निम्नानुसार होगा:–

1. बाहय रोगी पंजिका
2. अन्तःरोगी पंजिका
3. शल्य कक्ष पंजिका
4. प्रसूति कक्ष पंजिका
5. एम0टी0पी0 (गर्भपात) पंजिका (यदि एम0टी0पी0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो)
6. केस शीट
7. मेडिकोलीगल पंजिका
8. प्रयोगशाला पंजिका
9. रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग पंजिका
10. डिस्चार्ज समरी (सारांश)
11. द्वितीय प्रति में चिकित्सा प्रमाण–पत्र
12. शिकायत पंजिका
13. जन्म पंजिका (सरकार/राज्य स्तरीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रारूप पर, प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा)
14. मृत्यु पंजिका (सरकार/राज्य स्तरीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रारूप पर, प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा)
15. सरकारी कार्यक्रमों/कार्यक्षेत्र की सूचना (यथा मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण, कीटजनित रोग, एन0एल0ई0पी0, आर0एन0टी0सी0पी0, आई0डी0एस0पी0, एन0आर0एच0एम0, इनिशिएटिव–आशा, जननी सुरक्षा योजना)
16. नैदानिक स्थापनों में, जो कि अन्तः रोगी चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे है, में पद्धतिवार एवं विशेषज्ञतावार शैय्याओं की संख्या (यथा सामान्य/चिकित्सकीय/शल्य शैय्या, विशेष उपचार शैय्या)
17. कुल डिस्चार्ज की संख्या